2022 का विधेयक संख्यांक 91

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्टस एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स) आडर्स (सेकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2022 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2022 है ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुसूचित जातियां आदेश" से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 अभिप्रेत है; स.आ. 19

(ख) "अनुसूचित जनजातियां आदेश" से संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 अभिप्रेत है । सं.आ. 78

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।

3. संविधान अनुसूचित जातियां आदेश का पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और परिमाण तक संशोधन किया जाता है ।

अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन ।

4. संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश का दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में और परिमाण तक संशोधन किया जाता है ।

पहली अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं.आ.19) की अनुसूची के भाग 18 में—उत्तर प्रदेश, प्रविष्टि 36 में, "मिर्जापुर और सोनभद्र" शब्दों के स्थान पर "मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर" शब्द रखे जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 4 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सं.आ. 78) की अनुसूची की प्रविष्टि 6 में, "मिर्जापुर और सोनभद्र" शब्दों के स्थान पर "मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर" शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अनुसूचित जातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) में "अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है ;

अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (25) में "ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है" के रूप में परिभाषित किया गया है ।

2. संविधान का अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 निम्नानुसार उपबंध करता है :—

"341. अनुसूचित जातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जातियों, मूलवंशों या जनजातियों, अथवा जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जाति, मूलवंश या जनजाति को अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

342. अनुसूचित जनजातियां—(1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा, उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा ।

(2) संसद्, विधि द्वारा, किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ को खंड (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है उसके सिवाय उक्त खंड के अधीन निकाली गई अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।" ।

3. संविधान के अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 के उपबंधों के अनुसार, वर्ष 1950 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पहली सूचियों को क्रमशः संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 द्वारा अधिसूचित किया गया था । उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को पहली सूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 द्वारा अधिसूचित की गई थी । इन सूचियों को समय-समय पर उपांतरित किया गया था । उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2003 का 10) द्वारा उपांतरित किया गया है । उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नए बनाए गए जिलों संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर में रह रहे "गोंड" समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से हटाने और संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिलों में रह रहे गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड समुदायों को उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है ।

4. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर, यह प्रस्ताव है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का संशोधन करके उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को उपांतरित किया जाए ।

5. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 निम्नलिखित को संशोधित करने का प्रस्ताव करता है,—

(अ) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग 18-उत्तर प्रदेश की प्रविष्टि 36 में संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिलों से "गोंड" समुदाय का लोप करने के लिए, और

(आ) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 की अनुसूची की प्रविष्टि 6 में संत कबीर नगर, कुशी नगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिलों को सम्मिलित करने के लिए ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

अर्जुन मुंडा

नई दिल्ली ;
14 मार्च, 2022.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का संशोधन करके, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का संशोधन करने के लिए है । उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का संशोधन करने में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चालू स्कीमों के अधीन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों के व्यक्तियों को प्रदान किए जाने वाले फायदों के मद्दे अतिरिक्त व्यय अन्तर्वलित हो सकेगा ।

2. इस प्रक्रम पर इस मद्दे उपगत होने वाले संभाव्य अतिरिक्त व्यय का प्राक्कलन करना संभव नहीं है । तथापि, व्यय, यदि कोई हो, सरकार के अनुमोदित बजटीय परिव्यय के अन्दर समायोजित किया जाएगा ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 19) से उद्धरण

* * * * *

अनुसूची

* * * * *

भाग 18---उत्तर प्रदेश

* * * * *

36. गोंड (महाराज गंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को छोड़कर)

* * * * *

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 (सं0 आ0 78) से उद्धरण

* * * * *

अनुसूची

* * * * *

6. गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलो में)

* * * * *